

विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने की प्रक्रिया

प्रवेशार्थी को निर्देश

1. प्रवेश आवेदन भरते समय इस पाठ्यक्रम दर्शिका में मुद्रित निर्देशों का समस्त प्रवेशार्थी द्वारा पालन करना अनिवार्य है।
2. प्रवेश आवेदन पत्र में उल्लेखित समस्त प्रविष्टियों की पूर्तियां करना अनिवार्य है।
3. विश्वविद्यालय के निर्धारित अध्ययन केन्द्रों पर ही प्रवेश सम्पन्न हो सकेंगे।
4. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवश्यक अर्हताओं को पूर्ण करने पर ही प्रवेश हेतु संबंधित कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करें। इसकी पूर्ति न होने पर प्रवेश स्वयमेव निरस्त माना जायेगा।
5. शासन से मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल, विश्वविद्यालय एवं अन्य प्राधिकृत शासकीय संस्थाओं से उत्तीर्ण छात्र/छात्राएं ही प्रवेश हेतु मान्य किये जायेंगे।
6. रेंगिंग प्रतिबंधित हेतु म.प्र. शासन, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर दंड के भागी होंगे।
7. पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ्यसामग्री एवं सत्रीय कार्य उत्तर पुस्तिकाएं संबंधित अध्ययन केन्द्र से प्राप्त करना होंगी।
8. पाठ्यक्रम से संबंधित सत्रीय कार्य प्रश्न पत्र एवं सिलेबस विश्वविद्यालय की वेबसाईट... से प्राप्त करना होंगे।
9. विश्वविद्यालय से पत्राचार करते समय आवंटित पंजीयन क्रमांक का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें।
10. प्रवेश आवेदन एवं एम.पी. ऑन लाईन के पोर्टल पर समस्त प्रविष्टियां छात्र/छात्राओं द्वारा स्वयं भरी जाना चाहिये। एवं आवेदन पत्र के साथ अर्हता पूर्ण करने संबंधी समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपियां संलग्न करना अनिवार्य है। इन सत्यापित प्रतिलिपियों के साथ मूल प्रमाण पत्रों को अध्ययन केन्द्र अध्यक्ष के समस्त प्रस्तुत करना होगा।
11. प्रवेश मार्ग दर्शिका में प्रदर्शित अधिकृत अध्ययन केन्द्रों, क्षेत्रीय केन्द्रों एवं विश्वविद्यालय मुख्यालय के स्वागत कक्ष के अलावा विश्वविद्यालय द्वारा अन्य किसी भी व्यक्ति, संस्था, केन्द्र आदि को प्रवेश अथवा अन्य गतिविधियों के लिये अधिकृत नहीं किया गया है। यदि किसी अनाधिकृत के द्वारा कोई गतिविधि करना पाई जाती है तो उसके खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जायेंगा।
12. विश्वविद्यालय द्वारा किन्हीं भी कारणों से प्रवेशित छात्र/छात्रा का यदि प्रवेश निरस्त करने का आदेश जारी किया गया हो उसी स्थिति में संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा जमा की गई फीस वापिस की जा सकेगी अन्य किसी स्थिति में नहीं। अतः फीस जमा करने के पूर्व स्वयं के स्तर पर अच्छी तरह सुनिश्चित कर ले कि आप प्रवेश हेतु पूर्ण अर्हता रखते हैं।
13. एम.पी. ऑन लाईन कियोस्क/पोर्टल से प्रवेश हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है पाठ्यक्रम का प्रवेश से लेकर परीक्षा परिणाम घोषित होने तक समस्त अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।
14. विश्वविद्यालय के प्रवेश आवेदन सहित पाठ्यक्रम दर्शिका निर्धारित मूल्य को निर्धारित प्रक्रिया द्वारा जमा करने पर उपलब्ध हो सकेगा।
15. उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त अन्य किसी निराकरण हेतु निदेशक, विद्यार्थी सहायता एवं क्षेत्रीय सेवाएं से आवेदन प्रस्तुत कर अथवा दूरभाष पर उनके कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकेगा। संबंधित क्षेत्रीय केन्द्राध्यक्षगणों के अधीन समस्त अध्ययन केन्द्र संचालित रहेंगे।

16. विश्वविद्यालय के एकेडमिक कैलेंडर में प्रदर्शित तिथियों का पालन करना अनिवार्य होगा।
17. प्रवेश की अंतिम तिथि के उपरांत विश्वविद्यालय को प्राप्त प्रवेश आवेदन से स्वमेव निरस्त माने जायेंगे एवं इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जायेगा।
18. स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा की अंतिम कक्षा के परीक्षा परिणामों में सफल एवं योग्य परिक्षार्थियों को उनका उपाधि प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में प्रदान किया जायेगा इस हेतु उनको आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं भोपाल आने-जाने का कोई यात्रा व्यय भुगतान नहीं किया जायेगा। छात्र/छात्राओं के रहने की व्यवस्था उनके आवेदन पर विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
19. आरक्षित वर्ग के छात्र/छात्राओं को म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं योग्यताओं के आधार पर ही फीस में छूट संबंधी लाभ दिया जा सकेगा। इनका उल्लंघन होने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी हितग्राही की होगी।
20. विश्वविद्यालय में नगद रूप से कोई भी फीस/राशि जमा करने का प्रावधान नहीं है इसलिये समस्त राशि/फीस विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से ही जमा करें।
21. संबंधित पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित सम्पर्क कक्षाओं में छात्र/छात्राओं को 75 प्रतिशत उपस्थिति देना अनिवार्य होगा।
22. विश्वविद्यालय द्वारा सत्रीय कार्य उत्तरपुस्तिकाएं जमा करने की अंतिम तिथि तक सत्रीय कार्य उत्तर पुस्तिकाएं संबंधित अध्ययन केन्द्र पर जमा करना अनिवार्य होगा।
23. सम्पर्क कक्षाओं के आयोजन एवं सत्रीय कार्य संचालन से संबंधित समस्त सूचनाएं क्षेत्रीय केन्द्राध्यक्षों/निदेशक विद्यार्थी सहायता को प्रदान की जा सकेंगी।
24. विश्वविद्यालय मुख्यालय में वृहद रूप से पुस्तकालय स्थापित है। इच्छुक छात्र/छात्राएं इसका उपयोग कर पठन-पाठन कर सकते हैं।
25. विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक मिडिया प्रोडक्शन एण्ड रिसर्च सेन्टर/एड्यूसेट डिविजन में स्नातक पाठ्यक्रमों का आंशिक रूप से ईकन्टेन्ट/ईपाठ्य सामग्री उपलब्ध है। इच्छुक छात्र/छात्राएं इसका उपयोग कर पठन-पाठन कर सकते हैं।

प्रवेशार्थी को ऑनलाईन प्रवेश हेतु निर्देश:

1. रूपये 150/—(स्नातक—बी.ए.—बी.एस.सी.—बी.कॉम) एवं रूपये 300/—(स्नातकोत्तर एवं अन्य पाठ्यक्रम) की प्रवेश आवेदन सहित पाठ्यक्रम मार्गदर्शिका को एम.पी.ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क में जमा कर रसीद प्राप्त कर अध्ययन केन्द्र/क्षेत्रीय केन्द्र/विश्वविद्यालय मुख्यालय से प्राप्त करना होगा।
2. प्रवेशार्थी को प्रवेश आवेदन की प्रविष्टियां भरकर निर्धारित प्रवेश अर्हताओं के दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपियों सहित अध्ययन केन्द्र केन्द्राध्यक्ष से प्रवेश हेतु योग्यता का सत्यापन कराना होगा एवं केन्द्राध्यक्ष के सत्यापित हस्ताक्षर आवेदन पत्र पर अनिवार्य होंगे।
3. सत्यापित आवेदन को एम.पी.ऑन लाईन द्वारा निर्धारित निकटवर्ती एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क केन्द्र पर जाकर सत्यापित आवेदन को प्रदर्शित करने पर प्रवेश आवेदन भरे जावेंगे एवं ट्रान्जेक्शन आई डी नम्बर प्राप्त होगा। जिसके आधार पर कियोस्क संचालक ऑन लाईन आवेदन पत्र पर प्रविष्टियां अंकित करेगा एवं निर्धारित पाठ्यक्रम फीस की मांग करेगा प्रवेशार्थी द्वारा फीस भुगतान किये जाने पर प्रविष्टि किया हुआ आवेदन पत्र की तीन प्रतियां प्रदान करेगा। यह तीनों प्रतियां के साथ सत्यापित योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न की जावें। (एक प्रति अध्ययन केन्द्र हेतु, दूसरी प्रति क्षेत्रीय केन्द्र हेतु एवं तीसरी प्रति स्वयं छात्र हेतु)।
4. उपरोक्त दो प्रतियों सहित आवेदन पत्र अध्ययन केन्द्र पर जमा करना होगा एवं तीसरी प्रति छात्र स्वयं रखेगा।
5. प्रवेशार्थी को आवेदन जमा करने एवं फीस जमा करने की रसीद प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा इनके अभाव में विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जायेगा।
6. एम.पी.ऑन लाईन कियोस्क द्वारा डी.सी.ए पाठ्यक्रमों के लिये रूपये 30/— एवं अन्य पाठ्यक्रमों के लिये रूपये 40/—प्रति प्रवेशार्थी पोर्टल शुल्क लिये जायेंगे जो कि पाठ्यक्रम फीस/प्रवेश आवेदन शुल्क में सम्मिलित नहीं होंगे। यह राशि प्रवेशार्थी को स्वयं के स्तर पर भुगतान करना होगी।
7. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को म.प्र. शासन की विशेष घटक योजना अंतर्गत शिक्षण शुल्क जमा करने से छूट प्रदान की गई है। इन छात्रों को शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य राशि भुगतान करना होगी।
8. एम.पी.ऑन लाईन के माध्यम से प्रवेश लेने पर यह सुनिश्चितता नहीं है कि आपका प्रवेश सत्यापित हो गया है। इस माध्यम से प्रवेश आवेदन विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा परिक्षण उपरांत अर्हतादायक कक्षा में योग्य पाये जाने पर ही प्रवेश मान्य होगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जायेगा।
9. प्रवेशार्थी प्रवेश आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के किसी भी क्षेत्रीय केन्द्र/बैंक की किसी भी ब्रांच से क्रय कर सकेगा परन्तु प्रवेश आवेदन पत्र एवं संलग्न

- दस्तावेजों के आधार पर प्रवेश अर्हताओं का प्रमाणिकरण उसी केन्द्राध्यक्ष से कराना अनिवार्य होगा जिस अध्ययन केन्द्र पर वह प्रवेश लेने का इच्छुक है।
10. प्रवेश की यह प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरांत विश्वविद्यालय का पंजीयन क्रमांक/अनुक्रमांक भी एम.पी. ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से प्रवेशार्थी को प्राप्त होगा एवं सत्रांत परीक्षा प्रारंभ होने के दस दिवस पूर्व प्रवेशार्थी अपना परीक्षा प्रवेश पत्र भी एम.पी. ऑन लाईन पोर्टल से प्राप्त कर सकेगा।
 11. विश्वविद्यालय में प्रथम बार प्रवेश लेने वाले प्रवेशार्थियों के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में ही प्रवेश आवेदन पत्र मान्य किये जायेंगे। भोज मुक्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के आगामी कक्षा में प्रवेश भी इसी रीति से होंगे।
 12. विश्वविद्यालय में फीस वापसी उसी स्थिति में की जा सकती है जब विश्वविद्यालयीन आदेश द्वारा संबंधित प्रवेशार्थी का प्रवेश निरस्त किया गया हो। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी परिस्थिति में फीस वापिस योग्य नहीं होगी अतः फीस जमा करने के पूर्व प्रवेशार्थी अपनी प्रवेश अर्हता एवं अन्य तथ्यों को सुनिश्चित कर ले की वे स्वयं प्रवेश हेतु योग्यता रखते हैं।
 13. एम.पी.ऑन लाईन द्वारा प्रविष्ट की गई जानकारीयों एवं प्रवेश आवेदन पत्र में भरी हुई जानकारीयों का मिलान अध्ययन केन्द्राध्यक्ष से प्रवेशार्थी को कराना अनिवार्य होगा अन्यथा ऐसी स्थिति में प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा एवं इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।
 14. प्रवेशार्थी जिस अध्ययन केन्द्र में प्रवेश लेने का इच्छुक हो उस अध्ययन केन्द्राध्यक्ष से प्रवेश आवेदन दस्तावेजों सहित सत्यापन उपरांत एम.पी.ऑन लाईन के पोर्टल का उपयोग स्वयं या /किसी भी कियोस्क से कर सकेगा। परन्तु आवेदन पत्र अंतिम रूप से संबंधित अध्ययन केन्द्र में ही जमा करना होगा।
 15. एम.पी.ऑन लाईन पोर्टल एवं विश्वविद्यालय के प्रवेश आवेदन पत्र में लगे फोटो में भिन्नता होने पर प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं कोई भी अभ्यावेदन एवं तथ्य प्रस्तुत होने पर आगामी सत्र हेतु प्रवेश अग्रेषित किया जायेगा।
 16. उपरोक्त तथ्यों के अंतर्गत अन्य कोई आधारभूत जानकारी प्राप्त करने के लिये निदेशक म.प्र. भोज मुक्त विश्वविद्यालय कोलार रोड़, भोपाल से सम्पर्क किया जा सकेगा।
 17. प्रवेश आवेदन पत्रों की अनुपलब्धता होने पर इसकी सूचना सीधे निदेशक म. प्र. भोज मुक्त विश्वविद्यालय कोलार रोड़, भोपाल को प्रदाय की जा सकती है। प्रवेश पत्र आवेदन भरे बिना मात्र एम.पी.ऑन लाईन पोर्टल से प्रवेश करने पर प्रवेश मान्य नहीं किया जायेगा क्योंकि केन्द्राध्यक्ष से सत्यापन अनिवार्य होगा।

अध्ययन केन्द्राध्यक्ष को निर्देश:

1. अध्ययन केन्द्राध्यक्षगण प्रवेशार्थी को अध्ययन केन्द्र/क्षेत्रीय केन्द्र/विश्वविद्यालय मुख्यालय से रूपये 150/- (स्नातक-बी.ए.-बी.एस.सी.-बी.कॉम) एवं रूपये 300/- (स्नातकोत्तर एवं अन्य पाठ्यक्रम) की प्रवेश आवेदन सहित पाठ्यक्रम मार्गदर्शिका को स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में चलान अथवा एम.पी.ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क में कॅश जमा कर रसीद प्राप्त कर क्रय करने हेतु निर्देशित करेंगे।
2. प्रवेशार्थी को प्रवेश आवेदन की प्रविष्टियां भरकर निर्धारित प्रवेश अर्हताओं के दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपियों सहित अध्ययन केन्द्र केन्द्राध्यक्ष, प्रवेश हेतु योग्यता का सत्यापन करेंगे एवं केन्द्राध्यक्ष के सत्यापित हस्ताक्षर आवेदन पत्र पर अनिवार्य होंगे। साथ ही प्रवेश आवेदन की फार्म संख्या, विक्रय दिनांक एवं प्रवेशार्थी का नाम रजिस्टर में अंकित करना होगा ताकि ऑनलाईन में भरे गए फार्म को सत्यापित किया जा सके।
3. सत्यापित आवेदन को एम.पी.ऑन लाईन द्वारा निर्धारित निकटवर्ती कियोस्क/एम.पी.ऑन लाईन केन्द्र पर जाकर प्रदर्शित करने एवं प्रवेश आवेदन ट्रान्जेक्शन आई डी नम्बर प्राप्त करने हेतु निर्देशित करेंगे। जिसके आधार पर कियोस्क संचालक ऑन लाईन आवेदन पत्र पर प्रविष्टियां अंकित करेगा एवं निर्धारित पाठ्यक्रम फीस की मांग करेगा प्रवेशार्थी द्वारा फीस भुगतान किये जाने पर प्रविष्टि किया हुआ आवेदन पत्र की तीन प्रतियां प्रदान करेंगे। यह दोनों प्रतियां विश्वविद्यालय आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जावें। (एक प्रति अध्ययन केन्द्र हेतु, दूसरी प्रति क्षेत्रीय केन्द्र हेतु, तीसरी प्रति स्वयं छात्र हेतु)।
4. अध्ययन केन्द्राध्यक्ष, प्रवेशार्थी से उपरोक्त दोनों प्रतियों सहित आवेदन पत्र अध्ययन केन्द्र पर जमा करेंगे।
5. प्रवेशार्थी को प्राप्त आवेदन जमा करने एवं फीस जमा करने की रसीद का अवलोकन अध्ययन केन्द्राध्यक्ष स्वयं करेंगे। अन्यथा इनके अभाव में विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी प्रवेशार्थी का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जायेगा।
6. एम.पी.ऑन लाईन कियोस्क द्वारा डीसीए पाठ्यक्रमों के लिये रूपये 30/- एवं अन्य पाठ्यक्रमों के लिये रूपये 40/- प्रति प्रवेशार्थी पोर्टल शुल्क प्रवेशार्थी से लिये जायेंगे। जोकि पाठ्यक्रम फीस/प्रवेश आवेदन शुल्क में सम्मिलित नहीं होंगे। यह राशि प्रवेशार्थी को स्वयं के स्तर पर भुगतान करना होगी। इसमें कोई भी विसंगति होने की सूचना किसी भी माध्यम से यदि अध्ययन केन्द्राध्यक्ष को प्राप्त होती है तो तत्काल क्षेत्रीय केन्द्राध्यक्ष/निदेशक विद्यार्थी सहायता को सूचित करेंगे एवं उस विसंगति का निराकरण करेंगे।
7. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को म.प्र. शासन की विशेष घटक योजना अंतर्गत शिक्षण शुल्क जमा करने से छूट प्रदान की गई है। इन छात्रों को शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य राशि भुगतान करना होगी। इसका सत्यापन प्रवेशार्थी के आवेदन पत्र पर करेंगे।
8. एम.पी.ऑन लाईन के माध्यम से प्रवेश लेने पर यह सुनिश्चितता नहीं है कि प्रवेशार्थी का प्रवेश सत्यापित हो गया है। इस माध्यम से प्रवेश आवेदन

- विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा । विश्वविद्यालय द्वारा परिक्षण उपरांत अर्हतादायक कक्षा में योग्य पाये जाने पर ही प्रवेश मान्य होगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जायेगा। यह सूचना प्रवेशार्थी को प्रदान करेंगे।
9. अध्ययन केन्द्र/क्षेत्रीय केन्द्र/विश्वविद्यालय मुख्यालय से रूपये 150/- (स्नातक-बी.ए.-बी.एस.सी.-बी.कॉम) एवं रूपये 300/- (स्नातकोत्तर एवं अन्य पाठ्यक्रम) की प्रवेश आवेदन सहित पाठ्यक्रम मार्गदर्शिका को एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क में कैश जमा कर रसीद प्राप्त कर क्रय करना होगा। परन्तु प्रवेश आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रवेश अर्हताओं को, अध्ययन केन्द्र पर प्रवेश लेने वाले प्रवेशार्थियों का प्रमाणिकरण अध्ययन केन्द्राध्यक्ष करेंगे।
 10. प्रवेश की यह प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरांत विश्वविद्यालय का पंजीयन क्रमांक/अनुक्रमांक भी एम.पी. ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से प्रवेशार्थी को प्राप्त होगा एवं सत्रांत परीक्षा प्रारंभ होने के दस दिवस पूर्व प्रवेशार्थी अपना परीक्षा प्रवेश पत्र भी एम.पी. ऑन लाईन पोर्टल से प्राप्त कर सकेगा। यह जानकारी प्रवेशार्थी को देंगे।
 11. स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में ही प्रवेश आवेदन पत्र मान्य किये जायेंगे।
 12. विश्वविद्यालय में फीस वापसी उसी स्थिति में की जा सकती है जब विश्वविद्यालयीन आदेश द्वारा संबंधित प्रवेशार्थी का प्रवेश निरस्त किया गया हो। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी परिस्थिति में फीस वापिस योग्य नहीं होगी अतः फीस जमा करने के पूर्व प्रवेशार्थी अपनी प्रवेश अर्हता एवं अन्य तथ्यों को सुनिश्चित कर ले की वे स्वयं प्रवेश हेतु योग्यता रखते हैं। यह जानकारी प्रवेशार्थी को प्रदान करेंगे।
 13. एम.पी.ऑन लाईन द्वारा प्रविष्ट की गई जानकारीयों एवं प्रवेश आवेदन पत्र में भरी हुई जानकारीयों का मिलान अध्ययन केन्द्राध्यक्ष करेंगे। अन्यथा ऐसी स्थिति में प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा एवं इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।
 14. प्रवेशार्थी जिस अध्ययन केन्द्र में प्रवेश लेने का इच्छुक होगा अध्ययन केन्द्राध्यक्ष से प्रवेश आवेदन दस्तावेजों सहित सत्यापन करेंगे जिसके उपरांत प्रवेशार्थी एम.पी.ऑन लाईन के पोर्टल का उपयोग सीधे/किसी भी कियोस्क से कर सकेगा। परन्तु आवेदन पत्र अंतिम रूप से अध्ययन केन्द्राध्यक्ष ही जमा करेंगे।
 15. एम.पी.ऑन लाईन पोर्टल एवं विश्वविद्यालय के प्रवेश आवेदन पत्र में लगे फोटो में भिन्नता होने पर प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं कोई भी अभ्यावेदन एवं तथ्य प्रस्तुत होने पर आगामी सत्र हेतु प्रवेश अग्रेषित किया जायेगा। दोनों आवेदनों में प्रस्तुत आवेदनों का मिलान अध्ययन केन्द्राध्यक्ष आवेदन पत्र जमा करने के पूर्व कर ले।
 16. उपरोक्त तथ्यों के अंतर्गत अन्य कोई आधारभूत जानकारी प्राप्त करने के लिये निदेशक म.प्र. भोज मुक्त विश्वविद्यालय कोलार रोड़, भोपाल से सम्पर्क किया जा सकेगा।

17. प्रवेश आवेदन पत्रों की अनुपलब्धता होने पर इसकी सूचना सीधे निदेशक म.प्र. भोज मुक्त विश्वविद्यालय कोलार रोड़, भोपाल को प्रदाय की जा सकती है। प्रवेश पत्र आवेदन भरे बिना मात्र एम.पी.ऑन लाईन पोर्टल से प्रवेश करने पर प्रवेश मान्य नहीं किया जायेगा क्योंकि केन्द्राध्यक्ष से सत्यापन अनिवार्य होगा।
18. किसी भी प्रकार की ऑनलाईन/तकनीकी में हुए असुविधा हेतु निम्नलिखित एम.पी. ऑनलाईन, भोपाल के कस्टमरकेयर दूरभाष सं. पर संपर्क किया जा सकेगा:—
- एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड**
द्वितीय तल, निरूपम भाँपिंग मॉल,
अहमदपुर, होशंगाबाद रोड,
भोपाल – 462026, मध्यप्रदेश
दूरभाष सं. 0755 – 4019400 / 401 / 402 / 403 / 404 / 405 / 406
फैक्स सं. 0755 – 4019000
वेबसाईट : <https://www.mponline.gov.in>
ईमेल: university@mponline.gov.in
19. किसी भी प्रकार की प्रशासनिक संबंधी कठिनाई हेतु विश्वविद्यालय के निदेशक, म.प्र. भोज मुक्त विश्वविद्यालय कोलार रोड़, भोपाल, भोपाल से संपर्क किया जा सकेगा।

क्षेत्रिय अध्ययन केन्द्राध्यक्ष को निर्देश:

1. क्षेत्रिय अध्ययन केन्द्राध्यक्ष प्रवेशार्थी को अध्ययन केन्द्र/ क्षेत्रीय केन्द्र/ विश्वविद्यालय मुख्यालय से रुपये 200/—(स्नातक—बी.ए.—बी.एस.सी.—बी. कॉम) एवं रुपये 300/— (स्नातकोत्तर एवं अन्य पाठ्यक्रम) की प्रवेश आवेदन सहित पाठ्यक्रम मार्गदर्शिका को स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में चलान अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क में कै । जमा कर रसीद प्राप्त कर क्रय करने हेतु निर्देशित करेंगे।
2. प्रवेशार्थी को प्रवेश आवेदन की प्रविष्टियां भरकर निर्धारित प्रवेश अर्हताओं के दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपियों सहित अध्ययन केन्द्र केन्द्राध्यक्ष, प्रवेश हेतु योग्यता का सत्यापन करेंगे एवं केन्द्राध्यक्ष के सत्यापित हस्ताक्षर आवेदन पत्र पर अनिवार्य होंगे। साथ ही प्रवेश आवेदन की फार्म संख्या, विक्रय दिनांक एवं प्रवेशार्थी का नाम रजिस्टर में अंकित करना होगा ताकि ऑनलाईन में भरे गए फार्म को सत्यापित किया जा सके।
3. सत्यापित आवेदन को एम.पी.ऑन लाईन द्वारा निर्धारित निकटवर्ती कियोस्क/एम.पी.ऑन लाईन केन्द्र पर जाकर प्रदर्शित करने एवं प्रवेश आवेदन ट्रान्जेक्शन आई डी नम्बर प्राप्त करने हेतु निर्देशित करेंगे। जिसके आधार पर कियोस्क संचालक ऑन लाईन आवेदन पत्र पर प्रविष्टियां अंकित करेगा एवं निर्धारित पाठ्यक्रम फीस की मांग करेगा प्रवेशार्थी द्वारा फीस भुगतान किये जाने पर प्रविष्टि किया हुआ आवेदन पत्र की तीन प्रतियां प्रदान करेंगे। यह दोनों प्रतियां विश्वविद्यालय आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जावें। (एक प्रति अध्ययन केन्द्र हेतु, दूसरी प्रति क्षेत्रीय केन्द्र हेतु, तीसरी प्रति स्वयं छात्र हेतु)।

4. अध्ययन केन्द्राध्यक्ष, प्रवेशार्थी से उपरोक्त दोनों प्रतियों सहित आवेदन पत्र अध्ययन केन्द्र पर जमा करेंगे।
5. प्रवेशार्थी को प्राप्त आवेदन जमा करने एवं फीस जमा करने की रसीद का अवलोकन अध्ययन केन्द्राध्यक्ष स्वयं करेंगे। अन्यथा इनके अभाव में विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी प्रवेशार्थी का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जायेगा।
6. एम.पी.ऑन लाईन कियोस्क द्वारा डीसीए पाठ्यक्रमों के लिये रूपये 30/- एवं अन्य पाठ्यक्रमों के लिये रूपये 40/-प्रति प्रवेशार्थी पोर्टल शुल्क प्रवेशार्थी से लिये जायेंगे। जोकि पाठ्यक्रम फीस/प्रवेश आवेदन शुल्क में सम्मिलित नहीं होंगे। यह राशि प्रवेशार्थी को स्वयं के स्तर पर भुगतान करना होगी। इसमें कोई भी विसंगति होने की सूचना किसी भी माध्यम से यदि अध्ययन केन्द्राध्यक्ष को प्राप्त होती है तो तत्काल क्षेत्रीय केन्द्राध्यक्ष/निदेशक विद्यार्थी सहायता को सूचित करेंगे एवं उस विसंगति का निराकरण करेंगे।
7. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को म.प्र. शासन की विशेष घटक योजना अंतर्गत शिक्षण शुल्क जमा करने से छूट प्रदान की गई है। इन छात्रों को शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य राशि भुगतान करना होगी। इसका सत्यापन प्रवेशार्थी के आवेदन पत्र पर करेंगे।
8. एम.पी.ऑन लाईन के माध्यम से प्रवेश लेने पर यह सुनिश्चितता नहीं है कि प्रवेशार्थी का प्रवेश सत्यापित हो गया है। इस माध्यम से प्रवेश आवेदन विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा परिक्षण उपरांत अर्हतादायक कक्षा में योग्य पाये जाने पर ही प्रवेश मान्य होगा। इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जायेगा। यह सूचना प्रवेशार्थी को प्रदान करेंगे।
9. अध्ययन केन्द्र/क्षेत्रीय केन्द्र/विश्वविद्यालय मुख्यालय से रूपये 150/- (स्नातक-बी.ए.-बी.एस.सी.-बी.कॉम) एवं रूपये 300/- (स्नातकोत्तर एवं अन्य पाठ्यक्रम) की प्रवेश आवेदन सहित पाठ्यक्रम मार्गदर्शिका को स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में चलान अथवा एम.पी.ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क में कै A जमा कर रसीद प्राप्त कर क्रय करना होगा। परन्तु प्रवेश आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रवेश अर्हताओं को, अध्ययन केन्द्र पर प्रवेश लेने वाले प्रवेशार्थीयों का प्रमाणिकरण अध्ययन केन्द्राध्यक्ष करेंगे।
10. प्रवेश की यह प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरांत विश्वविद्यालय का पंजीयन क्रमांक/अनुक्रमांक भी एम.पी. ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से प्रवेशार्थी को प्राप्त होगा एवं सत्रांत परीक्षा प्रारंभ होने के दस दिवस पूर्व प्रवेशार्थी अपना परीक्षा प्रवेश पत्र भी एम.पी. ऑन लाईन पोर्टल से प्राप्त कर सकेगा। यह जानकारी प्रवेशार्थी को देंगे।
11. स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में ही प्रवेश आवेदन पत्र मान्य किये जायेंगे।
12. विश्वविद्यालय में फीस वापसी उसी स्थिति में की जा सकती है जब विश्वविद्यालयीन आदेश द्वारा संबंधित प्रवेशार्थी का प्रवेश निरस्त किया गया हो। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी परिस्थिति में फीस वापिस योग्य नहीं होगी अतः फीस जमा करने के पूर्व प्रवेशार्थी अपनी प्रवेश अर्हता एवं अन्य तथ्यों को

- सुनिश्चित कर ले की वे स्वयं प्रवेश हेतु योग्यता रखते हैं। यह जानकारी प्रवेशार्थी को प्रदान करेंगे।
13. एम.पी.ऑन लाईन द्वारा प्रविष्ट की गई जानकारीयों एवं प्रवेश आवेदन पत्र में भरी हुई जानकारीयों का मिलान अध्ययन केन्द्राध्यक्ष करेंगे। अन्यथा ऐसी स्थिति में प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा एवं इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।
 14. प्रवेशार्थी जिस अध्ययन केन्द्र में प्रवेश लेने का इच्छुक होगा अध्ययन केन्द्राध्यक्ष से प्रवेश आवेदन दस्तावेजों सहित सत्यापन करेंगे जिसके उपरांत प्रवेशार्थी एम.पी.ऑन लाईन के पोर्टल का उपयोग सीधे/किसी भी कियास्क से कर सकेगा। परन्तु आवेदन पत्र अंतिम रूप से अध्ययन केन्द्राध्यक्ष ही जमा करेंगे।
 15. एम.पी.ऑन लाईन पोर्टल एवं विश्वविद्यालय के प्रवेश आवेदन पत्र में लगे फोटो में भिन्नता होने पर प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा एवं कोई भी अभ्यावेदन एवं तथ्य प्रस्तुत होने पर आगामी सत्र हेतु प्रवेश अग्रेषित किया जायेगा। दोनों आवेदनों में प्रस्तुत आवेदनों का मिलान अध्ययन केन्द्राध्यक्ष आवेदन पत्र जमा करने के पूर्व कर ले।
 16. उपरोक्त तथ्यों के अंतर्गत अन्य कोई आधारभूत जानकारी प्राप्त करने के लिये निदेशक आईटी/विद्यार्थी सहायता म.प्र. भोज मुक्त विश्वविद्यालय कोलार रोड़, भोपाल से सम्पर्क किया जा सकेगा।
 17. प्रवेश आवेदन पत्रों की अनुपलब्धता होने पर इसकी सूचना सीधे निदेशक म.प्र. भोज मुक्त विश्वविद्यालय कोलार रोड़, भोपाल को प्रदाय की जा सकती है। प्रवेश पत्र आवेदन भरे बिना मात्र एम.पी.ऑन लाईन पोर्टल से प्रवेश करने पर प्रवेश मान्य नहीं किया जायेगा क्योंकि केन्द्राध्यक्ष से सत्यापन अनिवार्य होगा।
 18. उक्त सभी प्रवेश सूची का विवरण क्षेत्रिय केन्द्राध्यक्षों द्वारा ऑनलाईन देखा जा सकेगा। इस हेतु एम.पी.ऑनलाईन द्वारा एक यूजरनेम व पासवर्ड सभी क्षेत्रिय केन्द्राध्यक्षों को प्राप्त होगा। इसकी सूची विश्वविद्यालय को पूर्व में ही उपलब्ध करा दी जावेगी।
 19. उक्त यूजरनेम व पासवर्ड की सहायता से सभी प्रवेश की सूची को ऑनलाईन एप्रुव किया जावेगा तत्पश्चात ही प्रवेश मान्य होंगे। इस हेतु एम.पी.ऑनलाईन द्वारा प्रशिक्षण दिया जावेगा।
 20. उक्त सभी प्रवेश सूची, प्रवेश पत्र एवं रिपोर्ट ऑनलाईन ही उपलब्ध होंगे।
 21. किसी भी प्रकार की ऑनलाईन/तकनीकि में हुए असुविधा हेतु निम्नलिखित एम.पी. ऑनलाईन, भोपाल के कस्टमरकेयर दूरभाश सं. पर संपर्क किया जा सकेगा:—

एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड

द्वितीय तल, निरूपम भॉपिंग मॉल,

अहमदपूर, होशंगाबाद रोड़,

भोपाल — 462026, मध्यप्रदेश

दूरभाश सं. 0755 — 4019400 / 401 / 402 / 403 / 404 / 405 / 406

फैक्स सं. 0755 — 4019000

वेबसाईट : <https://www.mponline.gov.in>

ईमेल: university@mponline.gov.in

22. किसी भी प्रकार की प्रशासनिक संबंधी कठिनाई हेतु विश्वविद्यालय से संपर्क किया जा सकेगा।